



सत्यमेव जयते

# कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं. मा.सं.प्र-1/टी-1(1)2026/पार्ट/1027

दिनांक: 02.04.2026

## कार्यालय आदेश

क्षे.भ.नि.आ -II और सहा.भ.नि.आ संवर्गों में शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, निम्नलिखित अधिकारियों के अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और उनके संशोधित पदस्थापना स्थान नीचे दिए गए हैं:

### (क्षे.भ.नि.आ -II)

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान कार्यालय	स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.03.2026 के अनुसार पदस्थापित कार्यालय	संशोधित पदस्थापना स्थान
1	दिव्या ज्योति	क्षे.का. दिल्ली दक्षिण	क्षे.का. भागलपुर	मुख्यालय
2	गणेशप्रसाद निवृत्ति अरोटे	क्षे.का. भोपाल		क्षे.का. मुंबई फोर्ट
3	हिमांशु*	जिला कार्यालय कृष्णगिरि	क्षे.का. श्रीपेरंबुदूर	जिला कार्यालय कृष्णगिरि
4	किशोर कुमार राजहंस	क्षे.का. मुंबई फोर्ट		मुख्यालय
5	एल. मंगैयारकरासी	क्षे.का. चेन्नई (उत्तर)	क्षे.का. मदुरै	आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान चेन्नई
6	सुनील कुमार	क्षे.का. रायपुर	क्षे.का. कोल्लम	क्षे.का. भागलपुर
7	सुरेंद्र कुमार	क्षे.का. कोयंबटूर	मुख्यालय	क्षे.का. कुकटपल्ली
8	सुरेंद्र मोहन	पीडीनास		क्षे.का. भोपाल

\* क्रम संख्या 3 पर अंकित अधिकारी को 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उनके पद पर बनाए रखा जाएगा।

श्री अमिताभ शुक्ला, क्षे.भ.नि.आ -II को दिनांक 01/07/2026 को क्षे.का. लखनऊ से कार्यमुक्त किया जाए ताकि वे क्षे.का. पटना में कार्यभार ग्रहण कर सकें।

**सहा.भ.नि.आ**

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान कार्यालय	स्थानांतरण आदेश दिनांक 06.03.2026 के अनुसार पदस्थापित कार्यालय	संशोधित पदस्थापना स्थान
1	एम.के. वेंकट राव	क्षे.का. राजमुंदरी	क्षे.का. बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी	जिला कार्यालय काकीनाडा
2	थोटा श्रीधर	जिला कार्यालय महेसाणा		क्षे.का. गुंटूर

2. क्षे.भ.नि.आ-II और सहा.भ.नि.आ संवर्ग के शेष अधिकारियों के अभ्यावेदन पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण विचार नहीं किया जा सका है, अतः पूर्व आदेश संख्या मा.सं.प्र -I/टी-1(1)2026/पार्ट.II/1011 दिनांक 13/03/2026 और मा.सं.प्र -I/टी-1(1)2026/पार्ट/1000 दिनांक 06/03/2026 का अनुपालन किया जाएगा।

3. स्थानांतरित अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत कार्यभार सौंपने का नोट तैयार किया जाएगा और इसे नए पदग्राही द्वारा स्वीकार किया जाएगा और संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी को इसकी एक प्रति दी जाएगी। सभी रिपोर्टिंग अधिकारी इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

4. स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाएगा और वे कार्यमुक्त होने के 3 दिनों के भीतर अपने नए पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। मुख्य कार्यालय के अधिकारी जो स्थानांतरित किए जा रहे हैं, वे नए पदाधिकारी को ब्रीफ और उन्मुख करेंगे तथा विस्तारपूर्वक कार्यभार सौंपेंगे। नए पदाधिकारी द्वारा संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रतिलिपि देते हुए इसे स्वीकार किया जाएगा। सभी रिपोर्टिंग अधिकारी सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ईमेल (rc1.hrm@epfindia.gov.in) के माध्यम से मुख्यालय को भेजी जाएगी और इसे एच.आर.सॉफ्ट पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा।

( सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी )

**शारिक**

(मौहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मा.सं.प्र -I)

प्रति:

संबंधित अधिकारी।

प्रतिलिपि: (क.भ.नि.सं वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष, कें.न्या.बोर्ड, क.भ.नि के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार के प्रधान निजी सचिव।
3. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
4. वि.स एवं मु.ले.अ/ मु.स.अ /अपर कें.भ.नि.आ (मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. सभी अपर कें.भ.नि.आ, मुख्यालय एवं अंचल/मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षे.भ.नि.आ प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षे.भ.नि.आ (प्रशा), मुख्यालय/ क्षे.भ.नि.आ (एन.डी.सी )।
7. मुख्य कार्यालय के सभी अधिकारी।